

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी गंगापूर जिला भीलवाडा

पीठासीन अधिकारी- विकास पंचोली (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या :- 25/2020 (2020/00066)

दर्ज दिनांक 28.02.2020

प्रा.पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 एल0आर0एक्ट

शीर्षक

1. चुन्नीलाल पिता होकमा बैरवा निवासी सोनियाणा तहसील सहाडा जिला भीलवाडा।

---प्रार्थी

बनाम

1. लालीबाई पुत्री तिलोक पत्नी नंगजीराम बैरवा निवासी सोनियाणा तहसील सहाडा जिला भीलवाडा।
2. मांगीबाई पत्नी रामलाल निवासी सोनियाणा तहसील सहाडा जिला भीलवाडा।
3. उगमी पुत्री तिलोक पत्नी नानुराम बैरवा निवासी सोनियाणा हाल निवास रघुनाथपुरा तहसील सहाडा जिला भीलवाडा।
4. मगना पिता होकमा बैरवा निवास सोनियाणा तहसील सहाडा जिला भीलवाडा।

---विपक्षीगण

अधिवक्ता प्रार्थी:- श्री राजमल तिवारी

:: प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट 1956 ::

निर्णय दिनांक:-29.10.2020

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट 1956 के तहत विपक्षीगण के विरुद्ध प्रस्तुत कर ग्राम सोनियाणा पटवार हल्का सोनियाणा तहसील सहाडा की बैरुन हल्का आबादी में प्रार्थीगण की खातेदारी अधिकार एवं कब्जे काश्त की आराजी संख्या 1931 रकबा 0.40 हे0 कुल किता 01 कुल रकबा 0.40 हे0 भूमि राजस्व खाता संख्या 141 पर दर्ज होकर स्थित हैं। भूमि प्रार्थी के खातेदारी अधिकार की है जिसकी जमाबन्दी सम्वत् 2075 से 2078 संलग्न हैं। प्रार्थी द्वारा उक्त भूमि सीमा जानकारी के लिये पत्थरगढी किये जाने की इस्तदुआ की।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। विपक्षीगण को विधिवत सूचना पत्र जारी किया जाकर सूचित किया गया। विपक्षीगण संख्या 1 लगायत 4 बावजूद सूचना के अनुपरिथत अतः एकपक्षीय कार्यवाही के आदेश दिये गये। प्रार्थना पत्र पर प्रार्थी के अधिवक्ता को सुना गया।



1.


उप खण्ड अधिकारी  
गंगापूर जिला भीलवाडा

बाद सुनवाई मैने प्रार्थना पत्र का अवलोकन कर गहन मनन किया। प्रार्थना पत्र के अवलोकन व गहन मनन के प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 एल0आर0एक्ट को स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 एल.आर.एक्ट स्वीकार किया जाता है एवं ग्राम सोनियाणा पटवार हल्का सोनियाणा तहसील सहाड़ा की बैरून हल्का आवादी में प्रार्थीगण की खातेदारी अधिकार एवं कब्जे काशत की आराजी संख्या 1931 रकबा 0.40 हे0 कुल कित्ता 01 कुल रकबा 0.40 हे0 भूमि राजस्व खाता संख्या 141 पर दर्ज होकर स्थित हैं। भूमियों का बसामलात पक्षकारान के पत्थरगढी की जाने के आदेश किये जाते हैं, उक्त भूमि में दोनों पक्षों की उपस्थिति में किसी को बिना बेदखली एवं बिना किसी के कब्जे काशत में दखलान्दाजी किये पत्थरगढी की जावें। यदि पत्थरगढी के उपरान्त किसी का प्रतिकूल कब्जा पाया जाता है तो धारा 183 आर.टी.ए. के तहत वाद पेश करने के लिए पाबंद किया जावें। प्रार्थी बतौर पत्थरगढी शुल्क राशि 450/- (चार सौ पचास रु. मात्र) राजकोष में जमा करावें तथा पत्थरगढी की कमिश्नर फीस राशि 450/- (चार सौ पचास रु. मात्र) सम्बन्धित भु-अभिलेख निरीक्षक को मौके पर प्रार्थी अदा करें। पालनार्थ तहसीलदार सहाड़ा मु0 गंगापुर को तहरीर जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 29.10.2020 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।



  
(विकास पंचवेली)  
उप-खण्ड अधिकारी  
गंगापुर जिला भोलवाड़ा  
गंगापुर(भोलवाड़ा)